प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी झुन्झुनूं** थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर** वर्ष **2022**
प्र0सू0रि0 सं. 374/2022 दिनांक 22/9/2022

2.(i) अधिनियम ..... **भ्र0नि0 (संशोधित) अधिनियम 2018** . धारायें ..... **7** .....
(ii) अधिनियम ..... धारायें .....
(iii) अधिनियम ..... धारायें .....
(iv) अन्यें अधिनियम एवं धारायें .....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या 418 समय 5:15 P.M.
(ख) अपराध घटने का दिन **बुधवार** दिनांकः–21.09.2022 समय 4.35 पी.**एम.** .....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– ..... समय .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– **लिखित**
5. घटनास्थल :–**कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक, झुंझुनू, जिला झुन्झुनूं।**
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **बजानिब दक्षिण दिशा में बफासला करीब 600 मीटर**
(ब) पता :– **कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक, झुंझुनू, जिला झुन्झुनूं।**
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– **श्री बंशीलाल**
(ब) पिता/पति का नाम :– **श्री डुंगर मल**
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– **37 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता– ..... **भारतीय** .....
(य) पासपोर्ट संख्या .....
जारी करने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय :– .....
(ल) पता :– **गांव बास नानक, पोस्ट अजाडीकलां, पुलिस थाना सदर झुंझुनू, तहसील व जिला झुन्झुनूं**
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1– **श्री सुशीला पत्नि रोहिताश कुमार, जाति जाट, उम्र 40 साल निवासी देवीपुरा, जिला झुंझुनू, हाल पटवारी, पटवार हल्का बास नानक पंचायत समिति झुंझुनूं, जिला झुंझुनू।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....
..... कोई देरी नहीं हुई .....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... **रिश्वती राशि 4000/– रूपये**.....
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय-वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 19.09.2022 समय 10.15 ए.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री बंशीलाल पुत्र श्री डुंगरमल, जाति कुमावत, उम्र 37 साल निवासी, बास नानक पोस्ट अजाडीकला तहसील व जिला झुंझुनू उपस्थित उपस्थित हुआ व एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। लिखित प्रार्थना पत्र का मजमून पढा गया व परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में लिखित मजमून सही होना व प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा एवं स्वयं की हस्तलेख से लिखा हो स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य "श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनू विषयः– कानुनी कार्यवाही करने के बाबत। महोदय जी, उपरोक्त

विषयानुसार निवेदन है कि मै बास नानक का रहने वाला हूँ मेरी जमीन बास नानक में है मैने मेरी जमीन पर के.सी.सी. के लोन हेतू आवेदन किया है। लोन के लिए आवश्यक खानापूर्ति कर फाईल बैंक बडौदा क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा अजाडी कलां में जमा करवा रखी है। मेरी के.सी.सी. लोन की पत्रावली ऑन लाईन करवाने हेतु पटवारी सुशीला से सम्पर्क किया तो उसने रहन चढाने बाबत 5000/ पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। तथा मेरे से करीब 20 दिन पूर्व 500/रुपये ले लिये थे। सुशिला पटवारी बाकी के 4500 /रुपये देने के लिए बार–बार मेरे पास फोन कर रही है। अगर मैने रुपये नही दिये तो सुशिला पटवारी मेरे के.सी.सी. लोन को आन लाईन नही करेगी। मै सुशिला पटवारी को रिश्वत नही देना चाहता हूँ बल्की ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। सुशिला पटवारी से मेरा पूर्व में उधार का कोई लेनदेन नही है। सुशिला पटवारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करे। दिनांक 19.09.2022 भवदीय, बंशीलाल पुत्र श्री डुगरमल निवासी बास नानक पो0 अजाडीकलां तहसील झुंझुनू जिला झुंझुनू, 9116516634" मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जायेगा। मांग सत्यापन से जो स्थिति रहेगी उस पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकार्य से जयपुर जाना है इसलिए कार्यालय हाजा के त्रिलोक सिंह कानि0न0 24 को परिवादी श्री बंशीलाल से परिचय करवा कर कार्यालय की डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मंगवा कर टेप रिकार्डर को चला कर सुना गाया तो वॉयस रिकार्डर में कोई वार्ता रिकार्ड नही होना पाई गई। टेप रिकार्ड को चलाने व बन्द करने की विधि परिवादी को समझा कर डिजिटल वॉयस रिकार्डर कानि0 त्रिलोक सिंह को सुपूर्द कर कानि0 को हिदायत की गई की परिवादी के साथ जाकर गोपनीय मांग सत्यापन होने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को हालात अवगत कराये। दिनांक 20.09.2022 को समय 9.30 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक राजकार्य से जयपुर गया हुआ उपस्थित कार्यालय आया। श्री त्रिलोक सिंह कानि0 ने डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर बताया कि मै दिनांक 19.09.22 को समय 12.15 पीएम पर परिवादी के साथ गोपनीय मांग सत्यापन करवाने कलेक्ट्रेट सर्किल के पास बने पटवार भवन के पास पहुँच परिवादी ने अपने मोबाईल न0 9116516634 से आरोपिया के मो0न0 850482830 से वार्ता की तो आरोपिया ने अपने आफिस में उपस्थित होने के बारे में बताया उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था। उसके बाद परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपिया के आफिस में भिजवाया तथा कुछ समय बाद परिवादी कार्यालय से बाहर आया तथा परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया व परिवादी को साथ लेकर एसीबी कार्यालय में आकर मैने मांग सत्यापन होने के हालात श्रीमान को जरिये फोन निवेदन किये थे। श्रीमान के निर्देशानुसार डिजिटल वॉयस रिकार्डर मैने अपने पास सुरक्षित रखा था। श्रीमान के आदेशानुसार परिवादी को दिनांक 21.9.2022 को कार्यालय में उपस्थित होने बाबत रुखसत किया था। डिजिटल टेप रिकार्डर को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने चला कर सुना तो डिजिटव टेप रिकार्डर में रिश्वत मांग की रिकार्ड होना पाया गई, जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपने पास आलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 21.09.2022 समय 11.00 एएम पर परिवादी श्री बंशीलाल कार्यालय में उपस्थित आया व मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै दिनांक 19.09.22 को श्री त्रिलोक सिंह कानि0 के साथ गोपनीय सत्यापन हेतु पटवारी श्रीमती सुशीला के कार्यालय के पास पहुँचकर मैने मेरे मोबाईल से पटवारी सुशीला के फोन पर बात कर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत पूछा तो उन्होने कार्यालय में उपस्थित होना बताया उक्त वार्ता को हमने डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया था। मै डिजिटल टेप रिकार्डर त्रिलोक सिंह कानि0 से लेकर डिजिटल टेप रिकार्डर का चालू कर सुशीला पटवारी के कार्यालय में गया जहां सुशीला पटवारी उपस्थित मिली। मैनै उनसे मेरे कार्य के बारे में बातचीत की तो बातचीत की व पटवारी द्वारा पूर्व में मांगे गये 5000 रुपये में से 500 रुपये मैने 20–25 दिन पूर्व दे दिये थे तथा 500 रुपये दिनांक 19.09.22 को दौराने मांग सत्यापन दिये थे। शेष रिश्वती राशि 4000 रुपये की ओर मांग की है जो आज

मेरी उनसे दुरभाष वार्ता हुयी है जो आज ही रिश्वती राशि मंगवाई है। मै पटवारी सुशीला को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 4000 रुपये मेरे साथ लेकर आया हूँ। सयम 11.30 ए.एम पर श्री श्योपाल हैड कानि न0 40 को जरिये तहरीर दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कार्यालय सहायक निदेशक महिला एवं बाल विकास झुंझुनू रवाना किया गया जो समय 11.50 एएम पर दो स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र सिंह सरक्षंण अधिकारी व पूजा कुमारी, ब्लॉक सुपरवाईजर कार्यालय महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू के उपस्थित कार्यालय आये जिनसे पूर्व में उपस्थित परिवादी श्री बंशीलाल से आपसी परिचय करवाया व अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। परिवादी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमती प्राप्त की गई व परिवादी द्वार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान के हस्ताक्षकर करवाये गये। समय 12.05 पी.एम. पर परिवादी श्री बंशीलाल द्वारा रिश्वत की मांग दौराने सत्यापन आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी से हुई बातचीत की डिजीटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अलमारी से निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र सिंह व पूजा कुमारी व परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय के डिजीटल टेप के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया को मेमोरी कार्ड से कार्यालय कम्प्यूटर के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मेमोरी कार्ड की टेप वार्ता को गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द तैयार की गई। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता में परिवादी बंशीलाल ने स्वयं की व श्रीमती सुशीला पटवारी की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'ए' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। समय 01.15 पी. एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री बंशीलाल को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने 4000/– रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच–पॉच रूपये के 08 नोट कुल 8000/– रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर श्री रामावतार कानि. 21 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री राजेन्द्र सिंह से परिवादी श्री बंशीलाल की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 8000/– रूपये के नोट श्री रामावतार, कानि. 21 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री बंशीलाल को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री रामावतार, कानि., परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले कॉच के गिलासों व कॉच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजीटल टेप मय मेमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया जिसमें कोई आवाज नहीं है, उक्त डिजीटल टेप मय मेमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री बंशीलाल को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 04.12 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9116516634 से आरोपिया के मो0न0 8504828301 पर कॉल कर वार्ता की गई तो आरोपिया ने कार्यालय भू निरीक्षक झुंझुनू में होने की बताई जिस पर परिवादी ने 15–20 मिन्ट में भू निरीक्षक कार्यालय में आने के लिए कहां गया। उक्त वार्ता को परिवादी का मोबाईल स्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय 04.20 पी.एम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ श्री सुभाष चन्द्र मय स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र सिंह व पूजा कुमारी मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स मय प्राईवेट वाहन व श्री

शिशुपाल सिंह हैड कानि0 मय कानि ईशाक खान, श्री करण सिंह कानि0 व श्री सुनिल कुमार कानि मय श्रीमती सुमित्रा महिला को निजी मोटर साईकिल तथा परिवादी बंशीलाल व कानि0 त्रिलोक सिंह को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से एसीबी चौकी झुंझुनू से भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय झुंझुनू के लिए रवाना हुये। कानि0 रामवतार को चौकी पर छोडा गया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के एसीबी चौकी झुन्झुनूं से रवाना होकर कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक झुंझुनू के पास पहुँच वाहनो को साईड में रुकवाया। परिवादी को आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी के पास रिश्वत की राशि देने भिजवाया। हम सभी अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय के आस पास मुकिम होकर मुकर्र ईशारे कें इंतजार में मुकिम हुये। समय 04.40 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को परिवादी द्वारा समय करीब 04:35 पी.एम. पर परिवादी द्वारा मुकरर ईशारा प्राप्त होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान व स्वतंत्र गवाह को साथ लेता हुआ भू अभिलेख कार्यालय के गेट पर पहुचे तो गेट के अन्दर परिवादी श्री बंशीलाल उपस्थित मिला जो मन अति0 पुलिस अधीक्षक को आरोपिया पटवारी के कार्यालय कक्ष तक आगे आगे चलकर लेकर आया तथा वॉयस रिकार्डर सुपूर्द किया। उक्त कमरे में एक महिला एव एक व्यक्ति कुर्सियो पर बैठे थे। परिवादी श्री बंशीलाल ने कमरे के गेट में खडा होकर कमरे में बैठी महिला की तरफ ईशार कर बताया कि ये सुशीला जी पटवारी है जिन्होने मेरे से अभी–अभी चार हजार रुपये अपने दाहिन हाथ में लेकर गिनकर अपने हैण्ड बैग की साईड की जेब में रख लिये है। उस कमरे एक व्यक्ति और बैठा है जिसको मै नही जानता हूँ उसने भी पटवारी को पैसे लेते हुये देखा है। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के भू अभिलेख निरीक्षक कार्यालय के दाहिने कक्ष में गये जहां सामने की सीट पर एक महिला तथा एक व्यक्ति अलग–अलग बैठे हुये थे। परिवादी ने उस महिला की तरफ ईशारा कर बताया कि ये श्रीमती सुशीला पटवारी है जिन्होने मेरे से अभी–अभी रिश्वती राशि प्राप्त की है। जिस पर मन् मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने उस महिला को अपना परिचय देते हुये उसका परिचय व परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछने पर घबराते हुये अपना नाम श्री सुशीला पत्नि रोहिताश कुमार, जाति जाट, उम्र 40 साल निवासी देवीपुरा, जिला झुंझुनू, हाल पटवारी, पटवार हल्का बास नानक पंचायत समिति झुंझुनूं, जिला झुंझुनू होना बताया व परिवादी द्वारा प्राप्ति रिश्वत राशि के बारे में बताया कि परिवादी ने मेरी टेबल के उपर रिश्वती राशि रख दी तथा कहा की ये पैसे आप अपने बैग मे डाल लो तब मैने उक्त रुपये मेरे दाहिने हाथ से उठाकर गिने तो 500 सौ रुपये के आठ नोट कुल 4000 रुपये थे जो मैने मेरे पर्स की साईड की जेब में रख लिये। मौके पर उपस्थित परिवादी ने आरोपिया की वार्ता का खंडन करते हुये कहां कि पटवारी जी झुठ बोल रहे है मेरे से मेरी कृषि भूमी के के.सी.सी. लॉन के रहन का ऑन लाईन इन्द्राज करने की एवज में 5000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। मैने 500 रुपये पटवारी जी को आज से करीब 20–25 दिन पहले दिये थे तथा दिनांक 19.09.22 को दौराने मांग सत्यापन 500 रुपये दिये थे तथा शेष 4000 हजार रुपये मांग के अनुशरण में आज मैनै इनको दिये है जिन्होने अपने बैग की साईड की जेब में रख लिये है। गवाह श्री राजेन्द्र सिंह से आरोपिया के हैण्ड बैग की साईड जेब की चेन को खोलकर देखा तो उसमे पांच–पांच सौ रुपये नोट दिखाई दिये। रिश्वत की राशि लेने की पुष्टि होने पर मन् अतिरिक्त पुलिस के निर्देशानुसार आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी का दाहिना हाथ सुमित्रा महिला कानि व बाया हाथ स्वतंत्र गवाह पूजा से पकड़वाया। कमरे में दाहिनी साईड में बैठे व्यक्ति से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम राजेन्द्र ढाका पुत्र श्री मोहर सिंह जाति जाट उम्र 59 साल निवासी हासलसर, पो0 बडागांव, तहसील उदपुरवाटी हाल भूअभिलेख निरीक्षक मण्डावा जिला झुंझुनू होना बताया। परिवादी से अरोपिया द्वारा रिश्वती राशि लेने के बारे में पूछा तो बताया कि परिवादी ने श्रीमती सुशीला पटवारी को अभी मेरे सामने 500–500 रुपये के नोट कुल 4000 रुपये दिये वो किस बात के दिये थे जो सुशीला पटवारी जी ने ले लिये। वो पैसे किस बात के लिए मुझे पता नही है। जिस पर श्री राजेन्द्र ढाका को उस कमरे से उठाकर साईड के दुसरे कमरे में बैठाया गया तत्पश्चात श्री करण सिंह कानि0 193 के

दोनों हाथों एवं दो साफ कांच के गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झाईनुमा व दूसरे गिलास में आरोपिया के दाहिने हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क एल–1, एल–2 एवं आर–1, आर–2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी को रिश्वती राशि पेश करने के लिए कहा तो उसने अपना हैण्ड बैग रंग नेवी बल्यू की साईड की जेब से नोट पेश किये जो जो गवाह श्री राजेन्द्र सिंह से गिनवाये गये तो उन्होने पांच–पांच सौ रुपये के आठ नोट कुल 4000 रुपये होना बताया जो जिनका दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से मुताबिक मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। रिश्वती राशि के रूपयों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 EV 100406
2. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 KM 548610
3. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 MF 460335
4. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 9 AC 987902
5. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 NV 434163
6. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 PG 531402
7. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 PE 045121
8. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 KQ 768032

जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए गए। बरामद शुदा उपरोक्त 4000 रूपयों के नोटों को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। कानि0 मनोज कुमार के दोनो हाथो एवं दो साफ कांच के गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी के हैण्ड बेग की साईड की जेब जिसमें रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन् पर क्रमशः मार्क एचबी–1, एचबी–2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। हैण्ड बेग लेदर रंग नेवी बल्यू की जेब को सुखा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थली में डालकर थेली को सीलकर सील्ड चीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अंकित कर कब्जा एसीबी ली गई। आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी ने परिवादी के कार्य के बारे में पूछा तो आरोपिया ने बताया कि बंशीलाल के कृषि भूमी के के.सी.सी. लॉन के रहन को मेरे द्वारा सोमवार को ऑन लाईन कर दिया था। मेरे पास इसकी प्रति उपलब्ध नही है। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में प्रार्दश सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राशसील पीतल नं. 16 का नमूना तीन कागजों पर अलग से लिया जाकर उनपर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर एक कागज नमूना ब्राशसील पीतल नं. 16 गवाह श्री राजेन्द्र सिंह को सुपुर्द की गई। अब तक की गई कार्यवाही से आरोपिया श्री सुशीला पत्नि रोहिताश कुमार, जाति जाट, उम्र 40 साल निवासी देवपुरा, जिला झुंझुनू, हाल पटवारी, पटवार हल्का बास नानक पंचायत समिति झुंझुनूं, जिला झुंझुनू को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में जुर्म से अवगत करवाकर हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार की गई। तत्पश्चात परिवादी व दोनों मौतबिरान के समक्ष घटना स्थल पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था होने के कारण धटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री बंशीलाल व आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता व मौके पर रिश्वत के लेन–देन के वक्त आरोपियां श्रीमती सुशीला पुटवारी से की गई वार्तालाप जिसको परिवादी द्वारा कार्यालय की डिजीटल टेपरिकार्डर के मेमोरी कार्ड में टेप की गई बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मेमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आरोपिया व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मेमोरी कार्ड में टेप वार्ता का गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की

फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मेमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री बंशीलाल ने स्वयं की व एक आवाज आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी व दुसरी आवाज श्री राजेन्द्र सिंह भु अभिलेख निरीक्षक की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर सील्ड किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'ए–1' अंकित किया गया। सील्ड पैकेट मार्क 'ए–1' व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यावाही में प्रार्दशों को सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राश सील नं. 16 को श्री मनोज कुमार, कानि. 76 से तुडवाई गई। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भय गिरफ्तार शुद्धा आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी व हमाराहियान ट्रेप पार्टी सदस्य व जप्तशुदा आर्टीकल मय लेपटाप, प्रिंटर, ट्रेप बाक्स व वाहन के कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक झुंझुनू से रवाना हो एसीबी कार्यालय आये तथा प्रकरण का माल वजह सबुत मालखाना में जमा रखवाया गया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गयां।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से श्रीमती सुशीला पटवारी, पटवार हल्का बास नानक तहसील व जिला झुन्झुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बंशीलाल के कृषि भूमि के.सी.सी. लॉन का रहन ऑन लाईन चढाने की एवज में 5000 रुपये रिश्वत की मांग कर उसी समय आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी ने 500 रुपये रिश्वत प्राप्त किये तथा दिनांक 19.09.22 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपिया ने 500 रुपये प्राप्त किये। आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी ने मांग के अनुशरण में आज दिनांक 21.09.2022 को रिश्वत राशि 4000 रुपये लेते हुये रंगे हाथे गिरफतार किया गया। परिवादी का कृषि भूमी की के.सी.सी. के रहन को ऑन लाईन चढाने की एवज में दौराने मांग सत्यापन 500/– रूपये रिश्वत प्राप्त करना शेष रिश्वती राशि मांग के अनुशरण में बतौर रिश्वत 4000/– रूपये प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है। आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी ने परिवादी से रिश्वत राशि दाहिने हाथ से प्राप्त कर गिनकर अपने हैण्ड बैग में रख लिये। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करने पर एसीबी टीम कार्यालय भू अभिलेख निरीक्षक झुंझुनू रिश्वत राशि आरोपिया के हैण्ड बैग से बरामद होना प्रथम दृष्ट्या पाया जाता है। आरोपिया श्रीमती सुशीला पटवारी, पटवार मण्डल बास नानक का उपरोक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपिया के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है।

(इस्माईल खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झुन्झुनूं।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सुशीला पत्नी रोहिताश कुमार, पटवारी, पटवार हल्का बास नानक, पंचायत समिति झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 374/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 3247-51 दिनांक 22.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम सं02 जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, झुन्झुनूं।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।

22.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।